Capacity building workshop on Forest (Conservation) Act, 1980

A one day workshop on the procedures to be followed for taking approval of the Central Govt. for diversion of Forest land under the Forest (Conservation) Act, 1980 for various non forestry activities was held at Van Sadan, Haddo on 09.05.2022.

The workshop was organized jointly by Integrated Regional Office (IRO), GoI, MoEF&CC, Chennai with Department of Environment & Forests, Andaman & Nicobar Administration.

This was a part of the initiative taken by the Chief Secretary, Andaman & Nicobar Islands for building up the capacity of various user agencies to secure timely clearances for diversion of forest land for various developmental activities. Shri R Hemant Kumar, Deputy Director General of Forests (Central), Shri Sasi Kumar, Deputy Inspector General of Forests (Central) IRO, MoEF&CC, Chennai and Shri P. Subramanyam, PCCF, ANI along with others senior officers of various Departments of Andaman & Nicobar Administration, central agencies attended the workshop.

Shri R Hemant Kumar, DDG in his opening remarks delivered that the Integrated Regional office is striving to help and guide the user agencies in securing the approvals for project proposals at the earliest possible. He therefore urged the user agencies to help the IRO, MoEF&CC, Chennai through submission of complete proposals with mandated documents so that his office can help them through timely approvals.

Shri P Subramanyam, PCCF in his address emphasized that the Forest (Conservation) Act, 1980 is not a prohibitive but a regulatory legislation which allows diversion of forest land for various development activities after prior approval of Central Government. He therefore urged the representatives of the user agencies present in the workshop to ensure that the applications for diversion of forest land along with all necessary documents is submitted timely to the Forest Department for onward processing.

A power point presentation on the various procedural aspects of the Forest (Conservation) Act was made during the workshop and the queries raised by the various agencies/departments present in the workshop were clarified. The user agencies conveyed their appreciation to the department and IRO, MoEF&CC, Chennai for conducting the workshop which had helped them in better appreciating the procedures under the Forest (Conservation) Act 1980.





वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 पर क्षमता निर्माण कार्यशाला

वन सदन, हैडों में 9 मई 2022 को वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत गैर वानिकी गतिविधियों के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,चेन्नई के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय और पर्यावरण तथा वन विभाग ,अंडमान तथा निकोबार प्रशासन संयुक्त रूप से कार्यशाला का आयोजन किया गया।

यह मुख्य सचिव महोदय द्वारा विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए वन भूमि के विचलन के समय पर मंजूरी प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों के निर्माण के लिए की गई पहल का एक भाग था। जिसमें श्री आर. हेमंत कुमार वन उप महानिदेशक (केंद्र), श्री सिस कुमार वन उप महानिरीक्षक (केन्द्र), आई आर ओ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा जलवायु परिवर्तन ,चेन्नई एवं पी. सुब्रमणियम प्रधान मुख्य वन संरक्षक सिहत अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों ,केंद्रीय ऐजंसियों के अन्य विषठ अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिये।

श्री हेमंत कुमार वन उप महा निदेशक ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जल्द से जल्द परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों की मदद और मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने उपयोगकर्ता एजेंसियों से अनिवार्य दस्तावेज़ों के साथ पूरा प्रस्ताव जमा करके आई आर ओ, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा जलवायु परिवर्तन की मदद करने का आग्रह किया ताकि उनका कार्यालय समय पर अनुमोदन के माध्यम से उनकी मदद कर सके।

श्री पी. सुब्रमणियम प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने अपने उद्घाटन भाषण में इस बात पर ज़ोर दिया कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 एक निषेधात्मक अधिनियम नहीं है,बल्कि एक नियामक कानून है जो केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बाद विभिन्न विकास गतिविधियों के लिए वन भूमि को परिवर्तन करने की अनुमित देता है। अतः उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित प्रयोक्ता एजेंसियों के प्रतिनिधियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि वन भूमि के अपवर्तन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदनों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के लिए वन विभाग के पास समय पर प्रस्तुत किया जाए।

कार्यशाला के दौरान वन संरक्षण अधिनियम के विभिन्न प्रक्रियात्मक पहलुओं पर पावर प्वाइंट प्रस्तुति दिया गया और कार्यशाला में मौजूद विभिन्न एजेंसियों / विभागों द्वारा उठाए गए संदेहों / मुद्दों को स्पष्ट किया गया। उपयोगकर्ता एजेंसियों ने कार्यशाला आयोजित करने के लिए वन विभाग और आईआर ओ,चेन्नई की प्रशंसा की , और बताया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रक्रियाओं की बेहतर सराहना करने में कार्यशाला से मदद मिली।